

प्रेषिका,
कुमुदलता त्रिपाठी,
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

सेवा में,
श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

विषय: श्रीमान जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा वर्ष 2023-2024 में प्रदत्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अदर रिमार्क कालम-4 में किये गये कुछ टिप्पणियों को अपास्त करने एवं प्रदत्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,
सादर निवेदन है कि प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2023-2024 में दिनांक 01.04.2023 से 28.04.2023 तक लघुवाद न्यायाधीश, कानपुर नगर, दिनांक 29.04.2023 से 21.11.2023 तक सिविल जज सीनियर डिवीजन, कानपुर नगर तथा दिनांक 22.11.2023 से 31.03.2024 तक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के रूप में कार्य किया गया है। (प्रार्थिनी दिनांक 01.04.2023 से 09.06.2023 तक मातृत्व अवकाश पर थी)।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिए प्रदत्त वार्षिक प्रविष्टि की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ई-सर्विसेस जे0ओ0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके सम्बन्ध में अदर रिमार्क कालम-04 में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रदत्त कुछ टिप्पणियों को मैं अपने प्रतिकूल महसूस कर रही हूँ, जिसके सम्बन्ध में मेरा प्रत्यावेदन निम्नलिखित है:-

1- अदर रिमार्क कालम-04 में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा टिप्पणी करते हुये यह कहा गया है कि डी0ओ0 सं0-8/24 दिनांकित 16.02.2024 प्रार्थिनी को उनके द्वारा दिया गया क्योंकि प्रार्थिनी द्वारा न्यायिक आदेश के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी थी। उक्त के संदर्भ में प्रार्थिनी का यह कथन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 16.02.2024 को डी0ओ0 सं0-01/24 प्रार्थिनी को इस आशय का प्रेषित किया गया था कि "माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता सं0-15774/2021 अरविन्द मिश्रा उर्फ वैभव मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आदेश दिनांकित 30.01.2024 पारित कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट) से सम्बन्धित मामले के विचारण की अद्यतन स्थिति की आख्या आहूत की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए मामले में अग्रिम तिथि 15.02.2024 नियत थी। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर सिविल जज(जू0डि0)/महानगर मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 10, कानपुर नगर द्वारा आख्या आज दिनांक 16.02.2024 को मेरे समक्ष 10:15 बजे प्रस्तुत की गयी है, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 15.02.2024 अंकित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर आपको आख्या के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद आपके स्तर से आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी और आख्या असाधारण विलम्ब से प्रेषित किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।"

उक्त के संदर्भ में प्रार्थिनी का यह कथन है कि उपरोक्त प्रकीर्ण वाद में मामले के विचारण के संबंध में अद्यतन आख्या अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट सं0 10, कानपुर नगर से संबंधित था।

माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर उसे दिनांक 08.02.2024 को संबंधित न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट सं0 10, कानपुर नगर में प्राप्त कराया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा एक सप्ताह तक उक्त आदेश अपने पास रखे रही तथा अनुपालन आख्या दिनांक 15.02.2024 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में प्राप्त करायी गयी। उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से आख्या आहूत की गयी। संबंधित न्यायालय द्वारा अपनी आख्या के साथ संबंधित न्यायालय में कार्यरत लिपिकगण का भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया कि "इस न्यायालय में कार्यरत लिपिकगण की लापरवाही के चलते निर्धारित प्रारूप में आख्या तैयार कर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में दिनांक 15.02.2024 को प्रस्तुत की गयी।"

इस प्रकार संबंधित न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट सं0 10, कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद में मांगे गये विचारण के संबंध अद्यतन आख्या मेरे न्यायालय में प्राप्त नहीं करायी गयी तथा विलम्ब से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में प्राप्त करायी गयी। चूंकि संबंधित न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वांछित आख्या मुझे प्राप्त नहीं करायी गयी, जिससे मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को आख्या प्रेषित नहीं की जा सकी।

महोदय, मेरे स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस/आदेशिकाओं का प्राथमिकता के आधार पर मेरे द्वारा अनुपालन कराकर नियत तिथि से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती रही है।

2- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अदर रिमार्क कॉलम-04 में यह टिप्पणी की गई है कि मुझे दो जॉच पत्रावलियों दी गयी थी, जिसमें मेरे द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थिनी द्वारा सिविल जज (सी0डि0) का कार्यभार भौतिक रूप से दिनांक 09.06.2023 को ग्रहण किया गया, जिसके उपरान्त प्रारम्भिक जॉच पत्रावली सं0-24/22 दिनांक 11.07.2023 व 33/22 दिनांक 17.07.2023 को प्रथम बार मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें मेरे द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए संबंधित कर्मचारीगण को नोटिस प्रेषित किया गया। दिनांक 22.11.2023 को प्रार्थिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर का कार्यभार ग्रहण किया गया। मेरे द्वारा उक्त जॉच पत्रावली के सम्यक् निस्तारण हेतु अथक प्रयास किये गये परन्तु संबंधित कर्मचारीगणों से आख्या प्राप्त न होने के कारण जॉच पत्रावली का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया जा सका। प्रार्थिनी उक्त जॉच पत्रावलियों के निस्तारण हेतु पूर्ण रूप से तत्पर रही है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सिविल जज (सी0डि0) के न्यायालय में लगभग 5500 वाद तथा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में

लगभग 01 लाख मामले लम्बित थे, इसके अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए मेरे द्वारा प्रशासनिक दायित्वो का भी निर्वहन किया गया है।

3- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अदर रिमार्क कॉलम-04 में यह भी टिप्पणी की गई है कि आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 17.07.2023 एवं 16.02.2024 को प्रार्थिनी डायस पर नहीं पायी गई।

इस संबंध में प्रार्थिनी का यह कथन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कालम संख्या 01(1) में प्रार्थिनी को न्यायालय कार्यावधि के दौरान डायस पर बैठने में स्वयं ही समय निष्ठ एवं नियमित बताया गया है। औचक निरीक्षण दिनांक 17.07.2023 के दिन आदेश हेतु नियत पत्रावलियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रार्थिनी द्वारा आशुलिपिक को श्रुतलेख देने एवं औचक निरीक्षण दिनांक 16.02.2024 को प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण डायस पर कुछ विलम्ब से बैठी थी तथा प्रार्थिनी न्यायिक कार्य/प्रशासनिक कार्य ही सम्पादित कर रही थी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थिनी से उक्त के बावत कोई स्पष्टीकरण आहूत नहीं की गई, जिससे कि प्रार्थिनी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अपना पक्ष रख सकती।

महोदय मेरे द्वारा पूरे एसेसमेंट ईयर में 2381.11 यूनिट (468% प्रतिशत) कोटा अर्जित किया गया है तथा अंतिम निस्तारण से भी 1386.46 यूनिट (545% प्रतिशत) कोटा अर्जित किया गया है तथा मानक से बहुत अधिक कार्य किया गया है इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये समस्त लक्ष्यो को पूरा किया गया है तथा अपने न्यायिक एवं प्रशासनिक दायित्वो का निष्ठापूर्वक एवं कुशलता से सम्पादन किया गया है, जिसके संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी अपने वार्षिक गोपनीय टिप्पणी में अंकित किया गया है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि मेरे भविष्य व समस्त कार्यो को देखते हुए जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अदर रिमार्क कालम सं0-04 में वर्णित उपरोक्त प्रविष्टियों जिन्हें प्रार्थिनी अपने प्रतिकूल महसूस कर रही है को अपास्त करने तथा दी गयी वेरी गुड प्रविष्टि को उच्चकृत करने हेतु यह प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सादर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 01.07.2024

भवदीया,

संलग्नक-

1.माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रेषित डी0ओ0 की छायाप्रति।
2.उक्त डी0ओ0 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति।

(कुमुदलता त्रिपाठी)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर
(JO No.UP-2063)